दिनांक 12.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 573/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–जनपद श्रावस्ती से गैंगेस्टर एक्ट में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त नौशाद उर्फ मुन्ना जबलपुर, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार।

दिनांक 12–11–2026 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना कोतवाली भिनगा, जनपद श्रावस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0–187/2026 धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में वांछित रूपये 50,000/–के पुरस्कार घोषित अभियुक्त नौशाद उर्फ मुन्ना को जबलपुर, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

नौशाद उर्फ मुन्ना पुत्र मोहम्मद अहमद, निवासी इमामबाड़ा मोहल्ला गरीब नवाज, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय :–

कसाई मण्डी चौराहा कब्रिस्तान के सामने थाना क्षेत्र हनुमानताल, जबलपुर मध्य प्रदेश। दिनांक 12–11–2026 समय 11:30 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज टीम द्वारा थाना कोतवाली भिनगा, जनपद श्रावस्ती, उ0प्र0 पर पंजीकृत मु0अ0सं0–187/2026 धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में वांछित 50,000/–रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त नौशाद उर्फ मुन्ना की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इसी क्रम में उपनिरीक्षकगण श्री विनय तिवारी, मोहम्मद हबीब अहमद सिद्दीकी, मुख्य आरक्षीगण पंकज सिंह, पंकज तिवारी व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम जनपद जबलपुर मध्य प्रदेश में भ्रमणशील थी। उसी दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त नौशाद उर्फ मुन्ना, कसाई मण्डी चौराहा कब्रिस्तान

के सामने थाना क्षेत्र हनुमानताल जबलपुर में मौजूद है, अगर जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर, मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुॅचकर, अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त नौशाद उर्फ मुन्ना उपरोक्त ने पूॅछताछ पर बताया कि वह इमामबाड़ा मोहल्ला गरीब नवाज थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा का मूल निवासी है, जिसका चोरी, लूट व नकबजनी करने का एक संगठित गिरोह है जो इस गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिसका सरगना ददन लोनिया पुत्र बच्चू लोनिया निवासी लोनियनपुरवा चन्द्रखा बुजुर्ग थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती है। इन लोगों द्वारा उ0प्र0 के जनपद बदांयू, गोण्डा एवं प्रदेश के बाहर तेलंगाना ,महाराष्ट्र व जबलपुर मध्य प्रदेश आदि जगहों पर किराये का कमरा लेकर जूता, चप्पल बेचने की आड़ में खाली स्थानों पर बने मकान आदि की रेकी किया जाता है तथा चोरी, लूट व नकबजनी की घटना कारित करने के बाद जो भी सोना, चॉदी आदि सामान मिलता है उसे बेचकर अर्जित रूपयों को आपस में बराबर–बराबर हिस्सों में बांट लिया जाता है। उक्त गैंग के सरगना ददन लोनिया व सदस्य दौलत अली वर्ष–2025 में जनपद श्रावस्ती से जेल गया तथा नौशाद फरार चल रहा था। इसी प्रकार थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती पर दिनांक 30–04–2026 को मु0अ0सं0–187/2026 धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम का अभियोग नौशाद उर्फ मुन्ना उपरोक्त आदि के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50,000/–रू0 का पुरस्कार घोषित हुआ था, जिसकी जानकारी होने पर वह जबलपुर, मध्यप्रदेश में लुक–छिपकर रहने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त नौशाद उर्फ मुन्ना उपरोक्त को थाना कोतवाली भिनगा, जनपद श्रावस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0–187/2026 धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में थाना हनुमानताल जनपद जबलपुर मध्य प्रदेश में दाखिल किया गया तथा मा0 न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–10, जबलपुर मध्य प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त नौषाद उर्फ मुन्ना उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	217/2025	305/317(2)/313(4) बीएनएस	भिनगा	श्रावस्ती
2.	415/2025	301(ए)/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस	भिनगा	श्रावस्ती
3.	416/2025	301(ए)/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस	भिनगा	श्रावस्ती
4.	424/2025	301(ए)/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस	भिनगा	श्रावस्ती
5.	187/2026	3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	भिनगा	श्रावस्ती

जनपद मेरठ/थाना ब्रह्मपुरी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल ब्रिकी के 06 हजार 500 रूपये**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 12.11.2026 को थाना ब्रह्मपुरी व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आसिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल ब्रिकी के 06 हजार 500 रूपये, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना ब्रह्मपुरी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आसिफ निवासी ट्रान्सफार्मर वाली गली तारापुरी, थाना ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ हालपता–कुट्टी वाली गली, थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–चोरी के माल ब्रिकी के 06 हजार 500 रूपये।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद बरेली/थाना आंवला

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 08 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 519 ग्राम अवैध अफीम**
- **01 कार (स्कार्पियो) बरामद**

दिनांक 11/12.11.2026 की रात्रि थाना आंवला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मोतीपुरा से पहले अर्धनिर्मित दुकानों के पास से 03 अभियुक्तों

1–सुनील 2–अशरफ शाह 3–अनीश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 08 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 519 ग्राम अवैध अफीम, 01 कार (स्कार्पियो) बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना आंवला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील निवासी मोहल्ला अलीगंज अड्डे के पीछे कस्बा व थाना आंवला जनपद बरेली।

2–अशरफ शाह निवासी मोहल्ला हैदरगंज थाना अलीगंज जनपद बरेली।

3–अनीश निवासी मोहल्ला हैदरगंज थाना अलीगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 08 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 519 ग्राम अवैध अफीम।

2–01 कार (स्कार्पियो)।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना गुलावठी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त टेकचन्द्र उर्फ बब्लू को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————